सुरक्षा कवच

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी)

अंक 5

इस अंक में शामिल

- घरेलू गतिविधियां
  - पंजीकृत बैंक
  - डीआई कवरेज
  - वित्तपोषण
  - निपटाए गए दावे /प्रतिपूर्ति
  - पुनर्भुगतान
  - बीसीपी का गठन
  - जन जागरूकता
- अंतरराष्ट्रीय गतिविधि और आउटरीच

संपादक की कलम से

अनूप कुमार
संपादक
मुख्य महाप्रबंधक
डीआईसीजीसी

'द सेफ्टी नेट' के इस संस्करण में आपका स्वागत है! यह अंक प्रौद्योगिकी -सक्षम, जमाकर्ता-अनुकूल और भविष्य के लिए तैयार जमा बीमाकर्ता बनने के प्रयासों के तहत डीआईसीजीसी द्वारा शुरू की गई प्रमुख नीति, प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन पहलों को प्रस्तुत करता है।

निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि 1 अप्रैल 2026 से जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) फ्रेमवर्क की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य जोखिम मूल्यांकन और विंटेज लाभों से जुड़ी अलग-अलग प्रीमियम दरों के माध्यम से बीमाकृत बैंकों में उचित जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

इस अंक में डिजिटल रूपांतरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदमों को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें परिसमापकों (लिक्विडेटर्स) के साथ वर्कफ़्लो के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, डीआई रिटर्न और प्रीमियम भुगतान के ऑनलाइन सबमिशन के लिए "सम्यक" – आरईएमसी पोर्टल का शुभारंभ और क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल में ऑटोमेशन तथा सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) फ्रेमवर्क को लागू करने जैसी अन्य पहलें शामिल हैं। इन पहलों से परिचालन दक्षता, डेटा तत्परता में सुधार होने, दावा निपटान में लगने वाला समय कम होने और जमाकर्ताओं व बैंकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। यह संस्करण एक व्यापक जोखिम डैशबोर्ड के माध्यम से डीआईसीजीसी की आंतरिक जोखिम निगरानी संरचना को मजबूत करने पर भी प्रकाश डालता है।

'टीम डीआईसीजीसी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

घरेलू गतिविधियां

पंजीकृत बैंक

वर्ष के दौरान, समामेलन के कारण मौजूदा 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में से 26 को डीआईसीजीसी से विपंजीकृत कर दिया गया और 11 नए आरआरबी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, 17 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पंजीकरण रद्द किया गया; जिनमें से 09 लाइसेंस रद्द होने के कारण और 08 अन्य यूसीबी के साथ विलय के कारण विपंजीकृत किए गए। परिणामस्वरूप, वर्ष के अंत में (31 मार्च 2026) बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,950 (31 मार्च 2025 को 1,982) थी, जिसमें 124 वाणिज्यिक बैंक और 1,826 सहकारी बैंक शामिल थे।

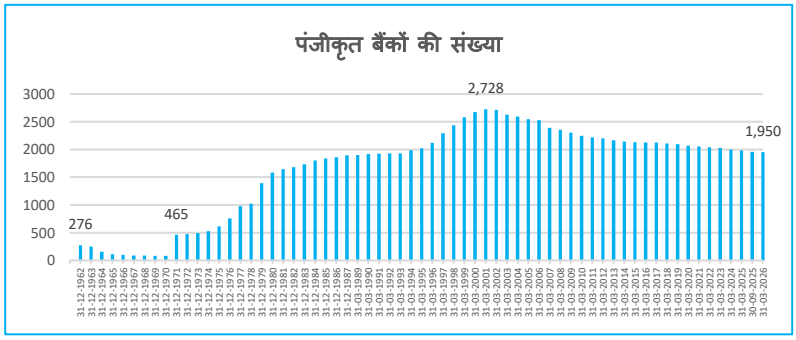

वाणिज्यिक बैंकों में 77 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (44 विदेशी बैंकों सहित), 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), 11 लघु वित्त बैंक (एसएफबी), 6 भुगतान बैंक (पीबी) और 2 स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) शामिल हैं। सहकारी बैंकों में 1,440 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), 34 राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) शामिल हैं।

जमा बीमा कवरेज

निर्धारणीय और बीमाकृत जमाराशि

बैंकिंग क्षेत्र की कुल निर्धारणीय जमाराशि, अर्थात जमा बीमा के लिए पात्र जमाराशि, सितंबर 2025 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष 11.4 प्रतिशत बढ़कर लगभग ₹253 लाख करोड़ हो गई, जबकि बीमाकृत जमाराशि 7.6 प्रतिशत की धीमी दर से बढ़कर ₹104 लाख करोड़ हो गई।

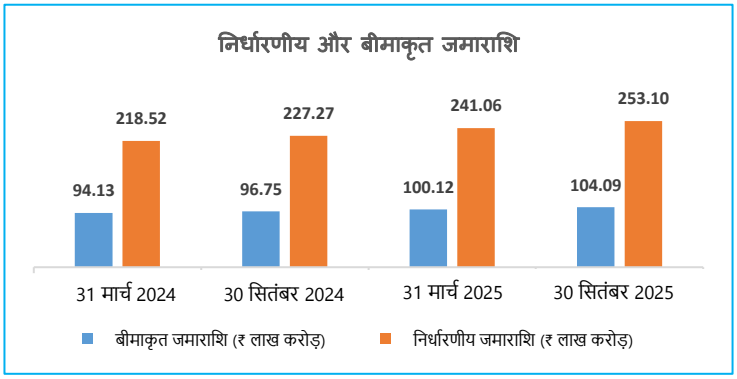

कवरेज अनुपात

₹500,000 की वर्तमान कवरेज सीमा के अंतर्गत, 30 सितंबर 2025 तक पूर्णतः संरक्षित जमा खाता अनुपात हिस्सा 97.5% था, जो 2020 से लगातार लगभग 98% के आसपास बना हुआ है। बीमाकृत जमा अनुपात (कुल निर्धारणीय जमाराशि में बीमाकृत जमाराशि का हिस्सा) 30 सितंबर 2025 तक 41.1% था।

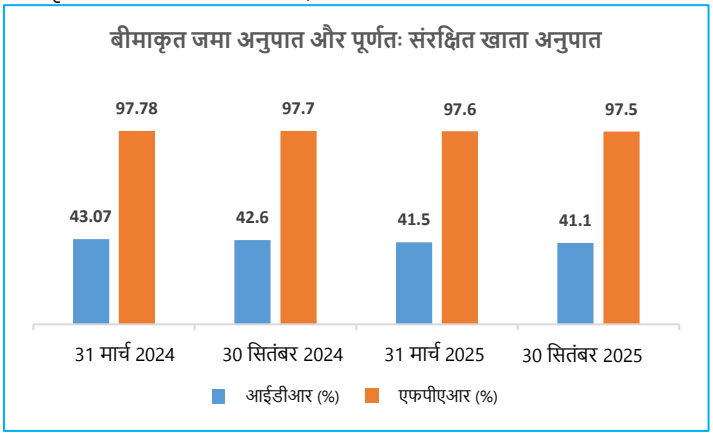

सहकारी बैंकों में पूर्णतः संरक्षित खाता अनुपात 98.1% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 97.4% था।

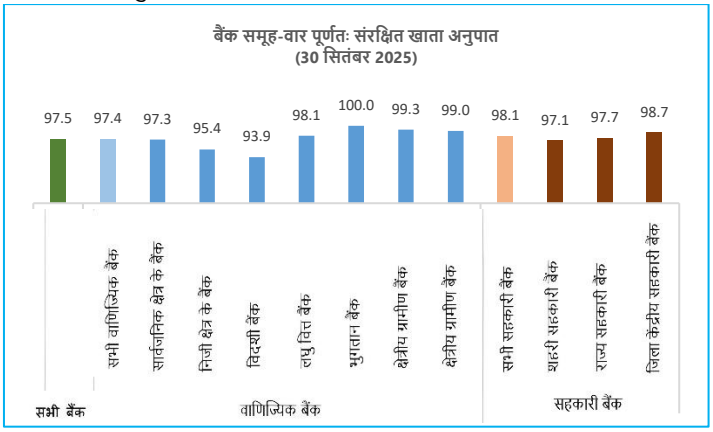

इसी प्रकार, सहकारी बैंकों में बीमाकृत जमा अनुपात 60.7% था, जबकि वाणिज्यिक बैंकों में यह अनुपात 40.1% दर्ज किया गया।

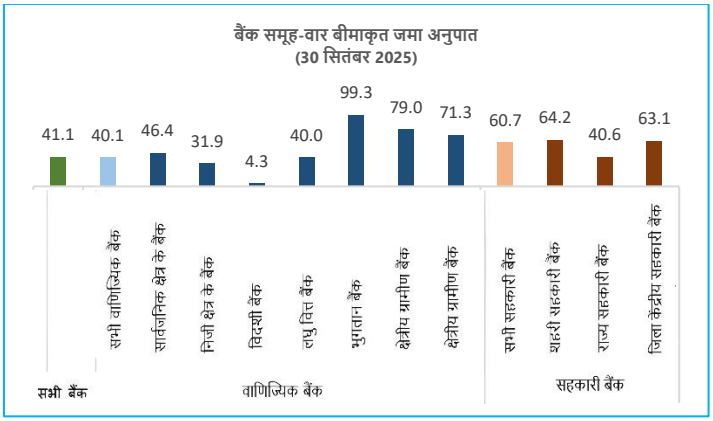

वित्तपोषण

प्रीमियम

डीआईसीजीसी बैंकों की कुल निर्धारणीय जमाराशियों पर प्रति वर्ष 0.12% की एक समान दर पर प्रीमियम वसूलता है। 2025-26 के दौरान, प्रीमियम लगभग 11.9 प्रतिशत बढ़कर ₹29,947 करोड़ हो गया, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों का योगदान लगभग 95 प्रतिशत और सहकारी बैंकों का योगदान शेष 5 प्रतिशत था।

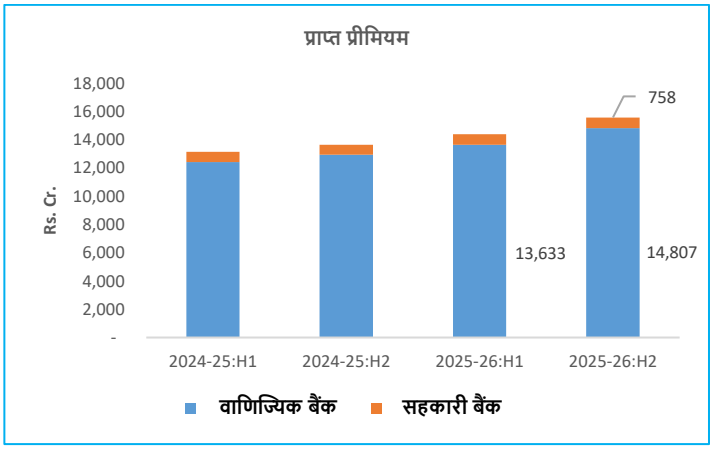

डीआईसीजीसी (बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान और रिटर्न जमा करना) मास्टर निदेश, 2025

डीआई रिटर्न और स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट (एसएसी) जमा करने, और डीआई प्रीमियम के भुगतान के संबंध में बीमाकृत बैंकों को पूर्व में जारी सभी परिपत्रों, अनुदेशों और निदेशों को समेकित, अद्यतन और प्रतिस्थापित करने के लिए निगम ने 1 अक्तूबर 2025 को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 34 (1) के अंतर्गत एक मास्टर निदेश जारी किया। सभी बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे 'सम्यक' नामक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए डीआई प्रीमियम भुगतान के साथ अपने डीआई रिटर्न जमा करें और बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणीकरण की व्यवस्था करें।

जमा बीमा निधि (डीआईएफ)

डीआईएफ का रखरखाव डीआईसीजीसी द्वारा परिसमापन/समामेलन या सर्व-समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के लिए किया जाता है। सितंबर 2025 के अंत तक डीआईएफ ₹2,46,292 करोड़ और बीमाकृत जमा राशि ₹104.09 लाख करोड़ होने के साथ, आरक्षित निधि अनुपात (आरआर) बढ़कर 2.37% (मार्च 2025 के अंत में 2.29%) हो गया।

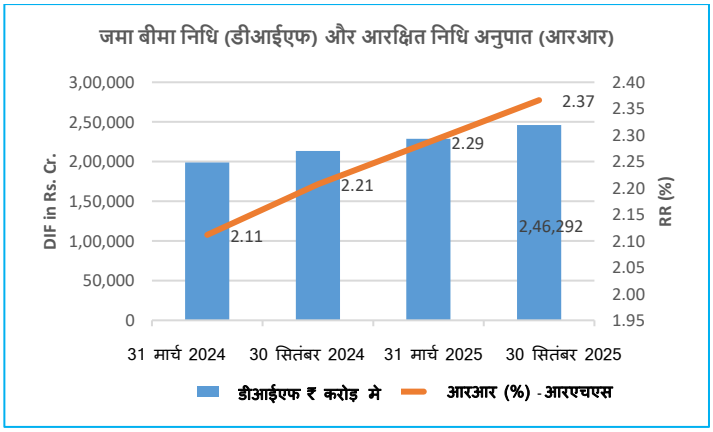

नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक डीआईएफ 14.4 प्रतिशत बढ़कर ₹2,61,823 करोड़ हो गया था।

प्रश्नोत्तरी

1. विश्व में जमा बीमा प्रदान करने वाला पहला संगठन कौन सा था?
2. विश्व में जमा बीमा शुरू करने वाला दूसरा देश कौन सा था?
3. भारत में जमा बीमा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
4. भारत में जमा बीमा के तहत सबसे पहले किस बैंक के जमाकर्ताओं का दावा निपटाया गया था?
5. किस जमा बीमाकर्ता ने सबसे पहले जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम प्रणाली शुरू की, और किस वर्ष में?

जोखिम-आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क की शुरुआत

डीआईसीजीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 1 अप्रैल 2026 से जोखिम आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क लागू किया है। डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 [धारा 15(1)] बीमाकृत बैंकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रीमियम दरों का प्रावधान करता है। आरबीपी फ्रेमवर्क का उद्देश्य बैंकों द्वारा उचित जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है और बेहतर प्रबंधित बैंकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कम करना है जिसकी प्रति ₹100 निर्धारणीय जमाराशि पर अधिकतम सीमा के रूप में 12 पैसे की पूर्व फ्लैट कार्ड दर थी। जोखिम मूल्यांकन के दो मॉडल होंगे-टियर 1 मॉडल और टियर 2 मॉडल।

टियर 1 मॉडल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू है और यह पर्यवेक्षी रेटिंग, मात्रात्मक मूल्यांकन (कैमेल्स पैरामीटर) और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से जमा बीमा निधि (डीआईएफ) को होने वाले संभावित नुकसान पर आधारित है। आरआरबी और सहकारी बैंकों पर लागू, टियर 2 मॉडल मात्रात्मक मूल्यांकन (कैमेल्स पैरामीटर) और बीमाकृत बैंकों के विफल होने से डीआईएफ को होने वाले संभावित नुकसान पर आधारित है। आरबीपी फ्रेमवर्क विंटेज (अर्थात डीआईसीजीसी से बिना किसी दावा भुगतान के डीआईसीजीसी की जमा बीमा निधि में लंबे समय तक योगदान) का लाभ भी प्रदान करता है। आरबीपी फ्रेमवर्क के तहत प्रभावी प्रीमियम दर, कार्ड दर (अर्थात निर्धारणीय जमाराशि के प्रति ₹100 पर 12 पैसे), जोखिम मॉडल इंसेंटिव और विंटेज इंसेंटिव का एक प्रकार्य है ।

निपटाए गए दावे/प्रतिपूर्ति

वर्ष के दौरान, निगम ने परिसमाप्त बैंकों, विलय किए गए और सर्व समावेशी निदेशों के तहत रखे गए बैंकों के बीमित जमाकर्ताओं को ₹1,988 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया। वाणिज्यिक बैंकों से कोई दावा नहीं किया गया था।

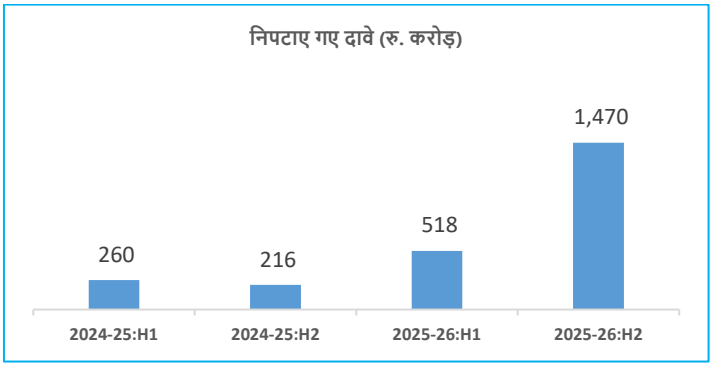

पुनर्भुगतान

डीआईसीजीसी को 2025-26 के दौरान ₹1,109 करोड़ की चुकौतियां प्राप्त हुई, जबकि 2024-25 के दौरान यह राशि ₹1,309 करोड़ थी।

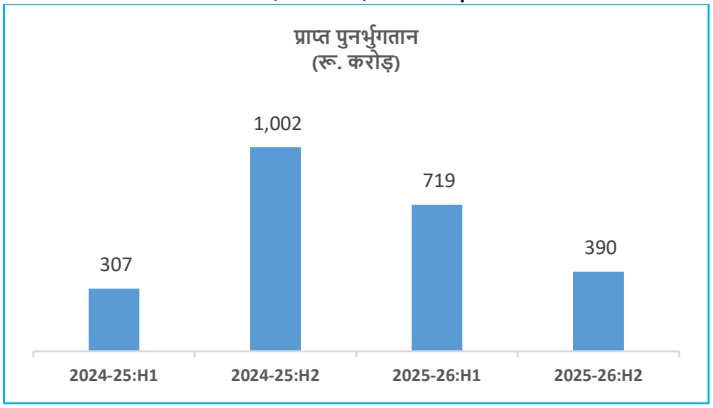

इस राशि में से, परिसमापनाधीन सहकारी बैंकों से प्राप्त पुनर्भुगतान ₹898.50 करोड़ था, जबकि एआईडी/विलय किए गए बैंकों से प्राप्त पुनर्भुगतान ₹210.56 करोड़ था।

"सम्यक" – आरईएमसी पोर्टल

निगम ने परिसमापकों के साथ एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो को डिजिटल बनाने हेतु "सम्यक" – आरईएमसी पोर्टल – लॉन्च किया है, जिसमें दावों का निपटान, बकाया राशि का पुनर्भुगतान और वैधानिक रिटर्न व विवरणों को जमा करना शामिल है। इस पोर्टल में परिसमापन प्रक्रिया और बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड भी शामिल है।

अधिनिर्णयन कक्ष और समिति

डीआईसीजीसी ने जन विश्वास अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के निपटान के लिए 9 जनवरी 2025 से आंतरिक रूप से एक अधिनिर्णयन कक्ष (एडजुडिकेशन सैल) का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार, एक अधिनिर्णयन समिति गठित की गई है ताकि निर्णय लेने से जुड़े मामलों की व्यवस्थित निगरानी और निर्णय-प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह समिति बीमाकृत बैंकों द्वारा जमा बीमा रिटर्न के विलंबित/गैर-प्रस्तुतीकरण से संबंधित मामलों के साथ-साथ जमाकर्ताओं के दावों के निपटान के बाद निगम को पुनर्भुगतान में देरी के मामलों को भी देखेगी।

कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) का गठन

तकनीक-आधारित परिचालनों पर बढ़ती निर्भरता और निर्बाध सेवा सुपुर्दगी की महत्वपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निगम के लिए एक व्यापक कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) ढांचा तैयार किया गया है। बीसीपी, सिस्टम आउटेज, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर घटनाओं या अन्य परिचालन व्यवधानों जैसी अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान निरंतरता का आश्वासन प्रदान करता है।

जन जागरूकता: डीआईसीजीसी संचार कार्यनीति और गतिविधियां

डीआईसीजीसी ने सीधे और आरबीआई के समन्वय से वित्तीय जागरूकता सत्र आयोजित करना शुरू किया है। आरबीआई और नाबार्ड से अनुरोध किया गया है कि वे अपने वित्तीय जागरूकता सत्रों में डीआईसीजीसी से संबंधित जागरूकता सामग्री को शामिल करें। इस अवधि के दौरान डीआईसीजीसी न्यूज़लेटर के तीसरे और चौथे अंक भी जारी किए गए थे। एक नई पहल के रूप में, प्रेस विज्ञप्तियों को छोटे वीडियो प्रारूप में परिवर्तित करके व्यापक प्रसार के लिए डीआईसीजीसी के सोशल मीडिया चैनलों पर अपलोड किया जा रहा है। आरबीआई के सहयोग से मुंबई में छात्रों के लिए दो जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

कॉर्पोरेट टीम आउटिंग

डीआईसीजीसी ने 17 जनवरी 2026 को कर्जत, महाराष्ट्र के ओलिएंडर फार्म्स में एक कॉर्पोरेट टीम आउटिंग आयोजित की। इस पहल का उद्देश्य एक आरामदायक, सहयोगात्मक वातावरण में साझा किए गए अनुभवों के माध्यम से पारस्परिक संबंधों को मजबूत करना और संगठनात्मक एकजुटता को बढ़ाना था, जो कर्मचारियों के कल्याण के प्रति डीआईसीजीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डीआईसीजीसी के बारे में जानें

संचार कक्ष

जमाकर्ता जागरूकता बढ़ाने और जमा बीमा की व्यापक समझ को बढ़ावा देने के लिए डीआईसीजीसी में संचार कक्ष स्थापित किया गया था। यह कक्ष जमा बीमा से संबंधित सूचना का सही समय पर, सुगम और आकर्षक प्रसार सुनिश्चित करता है।

हाल के वर्षों में, जमा बीमा जागरूकता को अधिक आकर्षक और सुगम बनाने के लिए रचनात्मक, डिजिटल और संवादात्मक संचार पहलों के जरिए कक्ष ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है। "डीआईसीजीसी सेफ्टी नेट" कॉमिक बुक के लॉन्च में संवादमूलक कहानी कहने की कला का उपयोग किया गया ताकि अलग-अलग तरह के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण और युवा वर्ग के लिए जमा बीमा की अवधारणाओं को सरल बनाया जा सके। स्कूलों और कॉलेजों में आयोजित जागरूकता सत्रों ने डीआईसीजीसी के बारे में मूलभूत वित्तीय साक्षरता को और अधिक बढ़ावा दिया, और छात्रों को अपने परिवारों और समुदायों में 'युवा एंबेसडर' के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निगम की वेबसाइट को कई नई विशेषताओं के साथ नया रूप दिया गया है, जिसमें जमाकर्ताओं के बुनियादी प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए डिज़ाइन किया गया एक एआई-सक्षम चैटबॉट 'डीआईए', और एक दावा स्थिति ट्रैकर "दावा सूचक" शामिल है। पब्लिक ऐप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से डिजिटल पहुंच का विस्तार किया गया, जिसमें विज़िबिलिटी और जुड़ाव बढ़ाने के लिए छोटे वीडियो शामिल हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि वे जमा बीमा से जुड़ी जानकारी की विज़िबिलिटी और उपलब्धता में सुधार के लिए अपनी वेबसाइटों पर क्यूआर कोड के साथ डीआईसीजीसी लोगो को प्रदर्शित करें।

संचार कक्ष ने जमा बीमा के विभिन्न पहलुओं पर विषय-आधारित लघु वीडियो तैयार किए हैं। आरबीआई की एफएएमई (फाइनेंशियल अवेयरनेस मैसेजेज़) पुस्तिका में जमा बीमा पर एक समर्पित अध्याय के माध्यम से डीआईसीजीसी-संबंधित सामग्री को भी शामिल किया गया है। अर्ध-वार्षिक "सेफ्टी नेट" न्यूज़लेटर के प्रकाशन के साथ-साथ पैम्फलेट, पोस्टर और इन्फोग्राफिक्स जमाकर्ता जागरूकता और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने में योगदान करते हैं।

डीआईसीजीसी की डिजिटलीकरण पहल

निगम ने एक आधुनिक, तकनीक-संचालित संस्था बनने की दिशा में अपनी मुख्य परिचालन प्रक्रियाओं का विस्तृत डिजिटल रूपांतरण किया है। प्रमुख गतिविधियों में स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग, विशिष्ट आईडी (आधार-आधारित) ई-साइनिंग के साथ पूरी तरह से डिजिटल रियल-टाइम प्रीमियम भुगतान मॉड्यूल और एकीकृत भुगतान गेटवे शामिल है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाने की क्षमता है। दावा निपटान और पुनर्भुगतान प्रबंधन मॉड्यूल बनाए गए हैं जो तीव्र, निर्बाध, पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य निपटान को सक्षम बनाते हुए स्वचालित वर्कफ़्लो, ऑनलाइन प्रमाणीकरण, डैशबोर्डों और भुगतान गेटवे एकीकरण की व्यवस्था करते हैं। सिंगल कस्टमर व्यू (एससीवी) ढांचे का कार्यान्वयन एक और बड़ी उपलब्धि है, जो जमाकर्ता डेटा को मानकीकृत करने और डेटा तत्परता को बेहतर बनाने में सहायता करता है ताकि दावों के भुगतान में लगने वाले समय को कम किया जा सके। पुनर्निर्मित डीआईसीजीसी वेबसाइट, डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो, ऑनलाइन दावा स्थिति ट्रैकर और सोशल मीडिया जुड़ाव आदि जैसी जमाकर्ता-केंद्रित पहलों से पूर्ण ये गतिविधियां, जमाकर्ताओं की सुविधा, पहुँच और जुड़ाव को मजबूत करेंगी। कुल मिलाकर, ये पहल डीआईसीजीसी को एक प्रगतिशील, भविष्य के लिए तैयार जमा बीमाकर्ता के रूप में स्थापित करेंगी जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हो और तकनीकी रूप से सक्षम, कुशल और जमाकर्ता-अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

अंतरराष्ट्रीय गतिविधि और आउटरीच

आईएडीआई पॉलिसी पेपर 'ई-मनी और जमा बीमा: नीतिगत विकल्प': मुख्य अंश

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ़ डिपॉज़िट इंश्योरर्स (आईएडीआई) द्वारा प्रकाशित यह पत्र ई-मनी के बढ़ती प्रासंगिकता और ई-मनी जारीकर्ता या निधि रखने वाले अभिरक्षक बैंक के दिवालिया होने पर, मौजूदा सुरक्षा तंत्र विफल रहने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं के सामने आने वाले रेज़ीड्यूल जोखिमों को संबोधित करता है। यह इन जोखिमों को कम करने के लिए ई-मनी धारकों को जमा बीमा कवरेज के दायरे में लाने की व्यवहार्यता और निहितार्थों का मूल्यांकन करता है।

यह अध्ययन ई-मनी को जमा बीमा योजनाओं में एकीकृत करने के लिए विभिन्न नीतिगत दृष्टिकोणों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें जारीकर्ता के फ्लोट को एक एकल खाते के रूप में मानने से लेकर सीधे व्यक्तिगत अंतिम-उपयोगकर्ताओं का बीमा करने या कई तरीकों को संयोजित करना शामिल हैं। हर विकल्प, प्रदान की गई उपभोक्ता सुरक्षा के स्तर और जमा बीमाकर्ता पर लागू परिचालन जटिलता के बीच एक अलग संतुलन को प्रस्तुत करता है।

इस पत्र का निष्कर्ष है कि कोई एक सार्वभौमिक समाधान नहीं है; सर्वोत्तम दृष्टिकोण किसी क्षेत्राधिकार के ई-मनी बाज़ार और विनियामक वातावरण की विशिष्ट विशेषताओं पर निर्भर करता है। हालांकि, इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि चाहे कोई भी मॉडल चुना जाए, सफलता एक मज़बूत कानूनी ढांचे पर निर्भर करती है। नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमा बीमाकर्ता के पास उपयोगकर्ता बैलेंस और पात्रता पर सटीक, रियल-टाइम डेटा तक एक्सेस के लिए सांविधिक अधिदेश और परिचालन क्षमता हो। साथ ही नियामकों और जारीकर्ताओं के बीच प्रभावी समन्वय भी हो।

एफडीआईसी के साथ डीआईसीजीसी प्रतिनिधिमंडल की तकनीकी चर्चा

अध्यक्ष स्वामीनाथन जे. के नेतृत्व में डीआईसीजीसी के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 8-9 सितंबर, 2025 को वाशिंगटन, डी.सी. में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी) का दौरा किया। टीम ने एफडीआईसी के कार्यकारी अध्यक्ष, श्री ट्रैविस हिल के साथ बैठक की और एफडीआईसी अधिकारियों के साथ विस्तृत तकनीकी चर्चा की। प्रमुख चर्चा जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) मॉडल, जमा बीमा निधि की पर्याप्तता के मूल्यांकन की कार्य पद्धतियों, दबाव परीक्षण ढांचों और जमाकर्ता संचार कार्यनीतियों पर केंद्रित थीं, जो भारत की जमा बीमा प्रणाली में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए डीआईसीजीसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

डीआईसीजीसी ने किए आईडीआईसी के साथ संबंध मजबूत

5 मई 2026 को, मलेशिया में आईएडीआई -एपीआरसी की वार्षिक बैठक के इतर, डीआईसीजीसी ने तकनीकी सहयोग के लिए प्रस्तावित समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर चर्चा करने के लिए इंडोनेशिया डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (आईडीआईसी) के साथ एक उपयोगी द्विपक्षीय बैठक की। मुख्य महाप्रबंधक, श्री अनूप कुमार के नेतृत्व में डीआईसीजीसी प्रतिनिधिमंडल ने आईडीआईसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की, जिसका नेतृत्व डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड बैंक रिज़ॉल्यूशन प्रोग्राम के बोर्ड ऑफ़ कमिश्नर्स के सदस्य, श्री डैडी जुल्वेर्डी ने किया। इस बैठक का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना और सहयोग के नए अवसर तलाशना था।

डीआईसीजीसी करेगा भारत में आईएडीआई -एपीआरसी वार्षिक बैठक 2027 की मेजबानी

डीआईसीजीसी को 2027 में भारत में एशिया पैसिफिक रीजनल कमिटी (एपीआरसी) की वार्षिक बैठक आयोजित करने के लिए चुना गया है। एपीआरसी, आईएडीआई की क्षेत्रीय समितियों में से एक है, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 20 सदस्य संस्थान शामिल हैं। यह बैठक क्षेत्र भर के जमा बीमाकर्ताओं को उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और क्षेत्रीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।

उत्तर

1.फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (एफडीआईसी), यूएसए	4. बैंक ऑफ चाइना, 1963
2. भारत	5. एफडीआईसी, यूएसए ने 1993 में
3. 1962	

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) के लिए अनूप कुमार द्वारा संपादित एवं प्रकाशित